प्रेस नोट **पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद** **दिनांक 10.09.2024**

थाना मधुबन बापूधाम पुलिस द्वारा डाक्टरो व स्टाफ के साथ दौराने ईलाज अभद्रता करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का विवरण- दिनांक 09.09.2024 को ई0एम0ओ0 डा0 श्री गौरव पाराशर संयुक्त जिला चिकित्सालय संजयनगर गाजियाबाद द्वारा एक तहरीर बाबत दिनांक 8/09/24 की रात्रि थाना कविनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद से एक युवक को नशे का मेडिकल परीक्षण हेतु लाया गया। नशे का परीक्षण हेतु ब्लड सेम्पल लेते हुए उसने मुझे, स्टाफ नर्स को थप्पड मारने का प्रयास किया और वहा मौजूद वार्ड बॉय (जयत्री,राहुल) के साथ मारपीट की तथा वहा मौजूद डाक्टर व फार्मासिस्ट से गाली गलौज की व सरकारी कार्य मे बाधा उत्पन्न करने के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ। जिसपर तत्काल उचित धाराओ में थाना मधुबन बापूधाम कमिश्नरेट गाजियाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही का विवरण-

दिनांक 10.09.2024 को मुकदमा उपरोक्त के क्रम में आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्त –

आशुतोष गर्ग पुत्र सुबोध गर्ग निवासी ए 32(201) नेहरुनगर सिहानीगेट गाजियाबाद उम्र 25 वर्ष

पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 10.09.24

गणेश चतुर्थी-2024 के पर्व के दृष्टिगत गणेश प्रतिमा विसर्जन एवं बारावफात(ईद मिलादुल्ल नबी) को सकुशल सम्पन्न कराने के दृष्टिगत आज दिनांक 10.09.2024 को समय अपरान्ह् 12.00 बजे रिजर्व पुलिस लाइन्स, गाजियाबाद स्थित शहीद परमजीत हॉल में श्री दिनेश कुमार पी0, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, अपराध एवं मुख्यालय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में दिल्ली राज्य के सीमावर्ती जनपदों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ ''इन्टर स्टेट बॉर्डर कॉर्डिनेशन मीटिंग'' आयोजित की गयी, जिसमें कमिश्नरेट गाजियाबाद से श्रीमती कल्पना सक्सेना, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, कानून-व्यवस्था, श्री राजेश कुमार, पुलिस उपायुक्त नगर, श्री निमिष पाटील, पुलिस उपायुक्त ट्रान्स हिण्डन, श्री सुरेन्द्र नाथ तिवारी, पुलिस उपायुक्त ग्रामीण, श्री पीयूष कुमार सिंह, अपर पुलिस उपायुक्त, यातायात, सहायक पुलिस आयुक्त, साहिबाबाद/शालीमार गार्डन/लोनी/अंकुर विहार/मसूरी/यातायात/लाइन्स, सम्मिलित हुये तथा दिल्ली राज्य की सीमावर्ती जनपदों से श्री सागर सिंह कलसी, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त, पूर्वी परिक्षेत्र, दिल्ली, श्री ज्वॉय टिर्की, पुलिस उपायुक्त नार्थ ईस्ट, श्री विष्णु कुमार, अपर पुलिस उपायुक्त, शाहदरा, श्रीमती अपूर्वा गुप्ता, पुलिस उपायुक्त-पूर्वी, दिल्ली, सहायक पुलिस

आयुक्त पूर्वी/ नन्दनगरी /शहादरा/ सीमापुरी/यातायात एवं थाना प्रभारी हर्ष विहार/करावल नगर/सोनिया विहार सम्मिलित हुये। उक्त ''इन्टर स्टेट बॉर्डर कॉर्डिनेशन मीटिंग'' में गणेश प्रतिमा विसर्जन 2024 के दृष्टिगत निम्नलिखित बिन्दुओं पर आपसी सहयोग एवं कार्यवाही हेतु विस्तृत विचार विमर्श किया गयाः-

1-दिल्ली व गाजियाबाद की मूर्तियों का विसर्जन मुख्यतः गंगनहर (थाना क्षेत्र मुरादनगर), हिण्डन नदी (थाना क्षेत्र खोडा, साहिबाबाद एवं टीलामोड़) एवं यमुना नदी (थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी) के पास कृत्रिम तालाबों में किया जाता है। दिल्ली में भी विभिन्न थाना क्षेत्रों में कृत्रिम तालाब बनाकर प्रतिमा विसर्जन की तैयारी की जा चुकी है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के द्वारा दिये गये विभिन्न आदेशों के अनुपालन में प्रतिमा विसर्जन नदी/नहरों में नहीं होने दिया जाएगा।

2-दिल्ली क्षेत्र की मूर्तियों का विसर्जन दिल्ली में ही कराया जाए, जिसके सम्बन्ध में आयोजकों तथा क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों से समय से वार्ता कर ली जाए एवं उनको अवगत करा दिया जाए कि कमिश्नरेट गाजियाबाद में मूर्तियों का विसर्जन गंगनहर/हिण्डन/यमुना नदियों में नहीं होगा बल्कि कृत्रिम तालाब बनाकर कराया जायेगा, जिससे उनमें जागरूकता हो सके और श्रद्धालु अपनी प्रतिमाओं का विसर्जन अपने क्षेत्र में ही बने कृत्रिम तालाब में करने हेतु तैयार हो जाएं।

3-गंगनहर/हिण्डन/यमुना नदियों में प्रतिमा विसर्जन रोकने के लिए घाटों पर रस्सी, बल्लियों एवं बैरियर की सहायता से बैरीकेडिंग कर ली जाए तथा लाउडस्पीकर एवं लाउड हेलर की सहायता से, नियुक्त पुलिस बल द्वारा मूर्ति विसर्जित कर चुके श्रद्धालुओं को वहां से हटाते रहा जाए ताकि अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो।

4-दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को प्रतिमा विसर्जन के दौरान कमिश्नरेट गाजियाबाद के रूट डायवर्जन प्लान से पीपीटी के माध्यम से अवगत कराया गया।

5-दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र से विसर्जन हेतु आने वाली प्रतिमाओं के साथ स्थानीय पुलिस के कर्मचारी वर्दी अथवा सादा वस्त्रों में लगाते हुए जुलूस में शामिल लोगों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखे जाने हेतु भी सहमति बनी।

6-आयोजकों से वार्ता कर प्रतिमा विसर्जन जुलूस के साथ डी0जे0 न लाकर, एक छोटा म्यूजिक सिस्टम ही लाया जाना सुनिश्चित किया जाए एवं प्रतिमाओं की ऊँचाई परम्परागत ही रहे।

7-दिल्ली एवं गाजियाबाद पुलिस द्वारा मौहल्ला/वार्डों में पीस कमेटी की गोष्ठी करके गणेश प्रतिमा विसर्जन हेतु जाने वाली मूर्तियों की संख्या, जो गाजियाबाद में विभिन्न स्थानों पर विसर्जित होंगी, की सूची का एक-दूसरे से आदान-प्रदान कर लिया जाए।

8-बारावफात (ईद मिलादुल्ल नबी) का जुलूस एवं गणेश प्रतिमा विसर्जन एक ही दिन में होने की स्थिति में विशेष सतर्कता रखते हुए आयोजकों से वार्ता कर, कम से कम 02 घण्टे का समयान्तराल निर्धारित करा लिया जाए।

इसके अतिरिक्त कमिश्नरेट गाजियाबाद/दिल्ली राज्य के वांछित अपराधियों की सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया गया।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 02.09.2024 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर वादी द्वारा लिखित सूचना दी कि उसकी पुत्री दिनांक 31.08.2024 को समय करीब 13.00 बजे घर से दवाई लेने गयी थी जिसे तलाश किया किन्तु कोई जानकारी नहीं हो सकी। इस सूचना पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी। दिनांक 07.09.2024 को पीड़िता अपने माता-पिता के साथ स्वयं थाने पर आयी। पीडिता के मैडिकल व बयानों के आधार पर बलात्कार की पुष्टि हुई तथा राहुल पुत्र दामोदर निवासी बी-1/302 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 23 वर्ष का नाम प्रकाश में आया। प्रकाश में आये अभियुक्त की तलाश हेतु टीमों का गठन किया गया।

तत्पश्चात आज दिनांक 10.09.2024 को थाना क्रासिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा उपरोक्त घटना के प्रकाश में आये अभियुक्त राहुल पुत्र दामोदर निवासी बी-1/302 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली उम्र 23 वर्ष को बागू अण्डरपास के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया गया कि पीड़िता के घर के सामने मेरी मौसी रहती थी जिनके पास में आता-जाता रहता था और पीड़िता से मेरी जान पहचान हो गयी। दिनांक 31.08.2024 को घर पर कोई नहीं था तो मौका पाकर मै पीड़िता को लेकर दिल्ली चला गया था जहां मै पीड़िता को लेकर होटल में रुका था तथा पीड़िता के साथ सम्बन्ध बनाये थे और धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम/पता

राहुल पुत्र दामोदर निवासी बी-1/302 नन्दनगरी थाना नन्दनगरी दिल्ली, उम्र 23 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग

उपरोक्त घटना के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा विवेचना में दुष्कर्म होना पाया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम

थाना भोजपुर पुलिस व स्वाट टीम ग्रामीण द्वारा हत्या की घटना का सफल अनावरण करते हुये हत्या कारित करने वाले 03 अभियुक्तगण गिरफ्तार

दिनांक 01.09.2024 को थाना भोजपुर पर वादी श्री अजय कुमार पुत्र श्री सोहनवीर सिंह निवासी ग्राम विद्यापुर थाना मोदीनगर गाजियाबाद ने एक लिखित तहरीर दी कि मेरे छोटे भाई नरेश कुमार की हत्या करके शव को मोदीनगर भोजपुर रोड पर ज्ञानस्थली स्कूल से लगभग 300 मी0 मोदीनगर की तरफ एक टयूबवैल के पास ईख के खेत में फेंक देने की सूचना पर थाना भोजपुर पुलिस द्वारा त्वरित अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण हेतु टीमो का गठन कर क्षेत्र मे मामूर किया गया था। आज दिनांक 10.09.2024 को थाना भोजपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर 03 अभियुक्तगण 1-मोहित पुत्र श्री सतेन्द्र उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम पट्टी थाना भोजपुर गाजियाबाद को पूछताछ के आधार पर थाना भोजपुर से समय 10.18 बजे व मुखबिर की सूचना पर अभियुक्तगण 2- अमर पुत्र श्री सुरेश उम्र 25 वर्ष 3-रोहित पुत्र श्री हरेन्द्र उम्र 26 वर्ष

निवासीगण ग्राम पट्टी थाना भोजपुर गाजियाबाद को हापुड मोदीनगर रोड पर मछरी चौराहे से समय 11.30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण ने पूछने पर बताया कि दिनाँक 27/08/2024 को हम तीनो लोग अमर की मोटर साईकिल पर भोजपुर मोदीनगर रोड पर स्थित ग्राम खंजरपुर के चन्दकीराम गेट की तरफ घूम रहे थे तभी अमर के पास समय करीब रात्रि 9.00 बजे विजय गौतम की मिस काल आई इसके बाद अमर ने विजय गौतम को काल वापस करके बात की तो विजय गौतम ने बताया था कि भटजन वाले रास्ते पर मेरी मोटर साईकिल का तेल खत्म हो गया है तो हम तीनो लोग अपनी मोटर साईकिल UP14CY6176 से विजय गौतम को लेने के लिए चले गये थे वेदपाल के पैट्रोल पम्प पर विजय गौतम को छोड़कर हम तीनो पेट्रोल पम्प से मोदीनगर की तरफ जा रहे थे जैसे ही हम लोग ज्ञानस्थली स्कूल से थोड़ा से आगे पहुँचे तो महेश तायल निवासी मोदीनगर की टयूबैल जो सड़क से लगभग 10 -15 कदम पर है टयूबैल से पहले सड़क की तरफ एक मोटरसाईकिल खड़ी थी खड़ी मोटर साईकिल को देखकर हम तीनो लोगो ने अपनी मोटर साईकिल रोककर व अपनी मोटर साईकिल को खड़ी करके पहले से खड़ी मोटर साईकिल के पास पहुँचे तो पास में ही ईख के खेत से एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि तुम लोग मेरी मोटर साईकिल चोरी करने आये हो और हमारे साथ गाली गलौच व मारपीट करने लगा हमने काफी समझाया की हम लोग तेरी मोटर साईकिल चोरी करने नहीं आये है फिऱ भी वह गाली गलौच व मारपीट करने पर उतारू रहा हमे ऐसा लगा कि वह शराब के नशे में है हमारे द्वारा पुनः समझाने के बाद भी जब वह व्यक्ति नहीं माना तो हम लोगो ने कहा कि अगर तूने अबकी बार गाली गलौच दी तो तुझे जान से मार देंगे। फिर भी वह गाली गलौच करने पर ऊतारू रहा तो हम लोगो को गुस्सा आ गया और हम तीनो ने मिलकर उसे जान से मारने के इरादे से हम तीनो में से अमर ने उसके हाथ तथा रोहित ने उसके पैर पकड़ कर नीचे गिरा दिया और मोहित ने पास में ही पड़ी ईट उठाकर उसके सिर व मुँह पर मार दी थी जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गयी। मृतक व्यक्ति को कोई देख न ले इसलिए अपने बचाव के कारण हम तीनो ने मिलकर मृत व्यक्ति को पास के उसी ईख के खेत में छिपा दिया था। उसकी मोटर साईकिल को भी वही पर ईख के खेत के किनारे झाडियो में डाल दी थी और फिर वहाँ से हम तीनो लोग अपनी रिश्तेदारी मोहिउद्दीनपुर मेरठ चले गये थे। मृतक की मोटर साईकिल को ईख के किनारे झाड़ियो के पास डालते समय मोहित के नेकर की जेब से मोहित के पिता जी का भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र व उसकी 02 छाया प्रतियाँ जो एक पालीथिन में थी वह भी मौके पर ही गिर गयी थी। हम तीनो लोगो ने मिलकर जिस ईट से हत्या की थी वह ईट हमने वहीं पर टयूबबैल के सामने वाली ईख में छिपा दी थी जिसे हम लोग ही चलकर बरामद करा सकते है। हम लोगो ने यह घटना अपने गाँव की सीमा के पास ही की थी इस कारण हमें डर था कि घटनास्थल से घर जाते हुए कही हमें कोई हुए देख ना ले इस कारण हम लोग अपनी रिश्तेदारी मोहिउद्दीनपुर मेरठ चले गये थे तथा सुबह गांव वालो के जगने से पहले ही हम तीनो लोग वापस अपने अपने घर आ गये थे।

बरामदगी का विवरण

1. अभियोग से सम्बन्धित रक्त रंजित आधी ईंट (आलाकत्ल)

2-अभियोग में प्रयुक्त मो0सा0 स्पेलेण्डर प्लस नं0 UP14CY6176 बरामद।

***आपराधिक इतिहास*--** उपरोक्त घटना के सम्बन्ध में थाना भोजपुर पर हत्या का 01 अभियोग पंजीकृत है।

नाम पता गिरफ्तार अभि0गण का विवरण-

1-मोहित पुत्र श्री सतेन्द्र उम्र 25 वर्ष

2-अमर पुत्र श्री सुरेश उम्र 25 वर्ष

3-रोहित पुत्र श्री हरेन्द्र उम्र 26 वर्ष
निवासीगण ग्राम पट्टी थाना भोजपुर गाजियाबाद।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

पुलिस टीम थाना भोजपुर व स्वाट टीम ग्रामीण कमिश्नरेट गा0बाद।